

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग
अधिसूचना
दिनांक 22 जनवरी, 1991

संख्या जे0 डी0-91/730- अद्यतन यथासंशोधित पंजाब अनुसूचित सड़कें तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबन्ध अधिनियम, 1963 की धारा-4 की उप-धारा (1)(ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा उन्हें सक्षम बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल नीचे दी गई और इससे संलग्न नक्शे में दर्शायी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट के अनुसार गांव टोलनी के प्राथमिक विद्यालय, जिला गुड़गांव के आस पास के क्षेत्र को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ नियन्त्रित क्षेत्र सहर्ष घोषित करते हैं।

अनुबन्ध

जिला गुड़गांव के गांव टोलनी में प्राथमिक विद्यालय के आस पास के नियन्त्रित क्षेत्र की सीमा- अनुसूची को ड्राईंग संख्या डी0 टी0 पी0 (जी) 1-39/90 दिनांक 31 मार्च, 1990 के साथ पढ़ा जाए।

अनुसूची

उत्तर- बिन्दु "ए" से लेकर जहां नाला/रास्ता गांव नौनेहड़ा और गांव हरचन्दपुर की राजस्व सीमा को पार करता है, इसके बाद गांव नौनेहड़ा की उत्तरी राजस्व सीमा गांव चौहड़पुर की पश्चिमी और उत्तरी राजस्व सीमा, गांव इसाकी की उत्तरी राजस्व सीमा के साथ-साथ पूर्व की ओर "बी" बिन्दु तक, जोकि गांव निमोथ, इसाकी और हरचन्दपुर की सीमा रेखा है।

पूर्व- उसके बाद दक्षिण की ओर गांव इसाकी की पूर्वी राजस्व सीमा, गांव टौलनी की पूर्वी तथा दक्षिणी सीमा और गांव रनकी की पूर्वी राजस्व सीमा के साथ-साथ बिन्दु "सी" तक जो गांव भोगपुर, किरनकी और सिलानी की सीमा रेखा है।

दक्षिण- उसके बाद किरनकी की दक्षिणी राजस्व सीमा के साथ-साथ पश्चिम की ओर बिन्दु "डी" तक जो कि गांव किरनकी की आयत संख्या 61 का दक्षिण-पश्चिमी कोना है।

पश्चिम-उसके बाद उत्तर की ओर आयत संख्या 61 की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ उसके बाद पश्चिम की ओर आयत संख्या 51 की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ उसके बाद उत्तर को ओर आयत सं0 51 की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ उसके बाद पश्चिम की ओर आयत संख्या 43 की दक्षिणी की सीमा के साथ-साथ उसके बाद उत्तर की ओर आयत सं0 43 और 28 की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ और उसके बाद पश्चिम की ओर आयत संख्या 23 और 24 की दक्षिणी सीमाओं के साथ-साथ बिन्दु "ई" तक, जोकि गांव किरनकी आयत संख्या 24 का दक्षिणी पश्चिमी कोना है। उसके बाद उत्तर-पूर्व की ओर गांव किरनकी की राजस्व सीमा के साथ-साथ बिन्दु "एफ" तक, जोकि गांव किरनकी की आयत संख्या 11 का दक्षिण-पश्चिमी कोना है। उसके बाद, उत्तर की ओर अधिसूचना संख्या 5932 2 टी0 सी0 पी0 76/10302, दिनांक 4 जनवरी, 1977 द्वारा पहले हो घोषित नियन्त्रित क्षेत्र-1 सोहना के साथ-साथ बिन्दु "ए" तक अर्थात् आरम्भ बिन्दु तक।

तरसेम लाल,
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

Notification

The 22th January, 1991

No. JD-91/730- In exercise of the powers conferred by sub-section (i) (B) of section 4 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 as amended upto date and all other powers enabling him the Governor of Haryana is pleased to declare the area around Primary School at Village-Tolni, District Gurgaon as specified in the schedule given below and shown on the plan appended hereto, to be a controlled area for the purposes of the said namely:-

ANNEXURE

Schedule of Boundaries of the controlled area around Primary School at Village-Tolni, Dist. Gurgaon to be read with Drg. No. DTP(G) 139/90 dated 31th March 1990.

SCHEDULE

North:-Starting from point 'A' which Nala /Rasta crosses the revenue boundary of villages Naunehra and harchandpur going towards east along the northern revenue boundary of village naunehra western and northern revenue boundary of village Chauharpur northern revenue boundary of village Isaki upto point 'B' Which is the trijunction of villages Nimoth, isaki and harchandpur.

East:- Thence towards South along the Eastern revenue boundary of village Isaki, eastern and southern boundary of village Tolni and eastern revenue boundary of village Kiranki upto point 'C' which is the trijunction of villages Bhogpur, Kiranki and Silani.

South:-Thence towards west along the Southern boundaries revenue boundaries of village Kiranki upto point 'D' which is the south western corner of Rect. No. 61 of village Kiranki.

West:- Thence towards north along the western boundary of Rectangle No. 61 thence towards west along the Southern boundary of rectangle No. 51, thence towards north along the western boundary of Rectangle No. 51, thence towards west along the southern boundary of Rectangle No. 43, thence towards north along the western boundary of Rectangle No. 43 and 28 and then towards west along the southern boundaries of Rectangle No. 23 and 24 upto point 'E' which is the south-western corner of Rectangle No. 24 of village Kiranki. Thence towards north-east along the revenue boundary of village Kiranki upto point 'F' which is the south-western corner of Rectangle No. 11 of village Kiranki. Thence towards north along the controlled area T'I' Sohna already declared, - vide Notification No. 5932-2TCP-76, 10302, dated 4th January, 1977 upto point 'A' i.e. the point of start.

TARSEM LAL

Commissioner & Secretary to Government, Haryana,
Town & Country Planning Department.